कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्याः 2191 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक–1 / ई–5 / स्था0–2019, दिनांकः 25 जून, 2019

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड़ लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत लो0नि0वि0 के नामित अधिकारी सहित स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय / संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित **सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)** को अनुरोध के आधार पर धारा 17(1)ख के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ–4 में अंकित खण्डों / स्थानों पर एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :–

कमांक	नाम / गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री				
1	उमेश कुमार / उ0प्र0	लघुडाल खंड, अल्मोड़ा।	नलकूप खंड, बाजपुर	धारा 17(1)(ख)(एक) (चि0आ0)	रिक्त पद पर

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंधन की दशा में घारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

25/6/19
ए0के0दिनकर
प्रमुख अभियन्ता

26/6

क्रमशः 02

Scanned by CamScanner

पत्रांकः 2191 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक—1 / ई—5 / स्था0—2019 / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. मुख्य अभियन्ता, स्तर—2(यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
5. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. अधिशासी अभियन्ता, परियोजना खंड, देहरादून को उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
9. वैयक्तिक अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून ।
10. प्रान्तीय अध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ (यांत्रिक), उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. कट फाईल हेतु।

25/6/19

(टी0एस0 मर्तोलिया)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक—1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

25/6

Scanned by CamScanner